रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III — खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 1, 2008/माघ 12, 1929

No. 8] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 1, 2008/MAGHA 12, 1929

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 3 जनवरी, 2008

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं की ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्र बाध्यताएँ) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2008

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा. विनियम/1/42/2008.—प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 32बी की धारा 32ए के साथ पठन करते हुए और इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से निम्नलिखित विनियम बनाता है जो बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं की ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्र बाध्यताएं) विनियमन, 2002 जिसकी अधिसूचना भारत के राजपत्र, फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./10/2002, दिनांक 17 अक्तूबर, 2002 को जारी हुई तथा भारत के राजपत्र फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./4/2005/37 दिनांक 26 दिसम्बर, 2005 को संशोधन जारी हुआ, मुख्यत: :—

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों को बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं की ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्र बाध्यताएं) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2008 के नाम से पुकारा जायेगा ।

(2) ये प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होंगे ।

(3) बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं की ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्र बाध्यताएं) विनियमन, 2002 में,—

(i) विनियमन 3 का तीसरा प्रावधान मिटाया जाता है ।

(ii) विनियमन 3ए के बाद जैसा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं की ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्र बाध्यताएं) संशोधन विनियमन, 2005 में शामिल किया गया था निम्नलिखित विनियमन 3बी शामिल किया जाएगा ।

"3बी. छटे वित्तीय वर्ष के बाद बाध्यताएँ :—(1)(ए) ग्रामीण क्षेत्र

(i) जीवन बीमाकर्ता के सम्बन्ध में, –

(I) सातवें वित्तीय वर्ष में अठारह प्रतिशत ;

(II) आठवें तथा नवें वित्तीय वर्ष में उन्नीस प्रतिशत ;

(III) दसवें वित्तीय वर्ष में बीस प्रतिशत,

उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से की गई कुल बीमा लेखन की गई पोलिसियाँ,

(ii) साधारण बीमाकर्ता के सम्बन्ध में, –

(I) सातवें वित्तीय वर्ष में पाँच प्रतिशत ;

(II) आठवें वित्तीय वर्ष में छः प्रतिशत ;

(III) नवें तथा दसवें वित्तीय वर्ष में सात प्रतिशत,

उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त सकल बीमा प्रिमियम का,

(बी) सामाजिक क्षेत्र

(i) सभी बीमाकर्ताओं के सम्बन्ध में,—

(I) सातवें वित्तीय वर्ष में पच्चीस हजार जीवन;

356 GI/2008

of the total gross premium income written direct in that year;

(ii) Social Sector,—

(I) for the financial year 2007-08 the average of the number of lives covered by the respective insurer in the social sector from the financial years 2002-03 to 2004-05 or 5.50 lakh lives, whichever is higher;

(II) for the financial year 2008-09, the obligations of the existing insurers shall increase by 10 per cent over the number of persons prescribed for the financial year 2007-08;

(III) for the financial year 2009-10, the obligations of the existing insurers shall increase by 10 per cent over the number of persons prescribed for the financial year 2008-09.

(2) The obligations of the insurers, towards the rural and the social sectors for the financial year 2009-10 shall also be applicable in the financial years thereafter".

(iv) After Regulation 4A, the following Regulations 5, 6 and 7 shall be added:

"5. **Notes applicable to Regulations 3, 3A, 3B, 4 and 4A.**—(1) The term 'lives' referred to in Regulations 3, 3A, 3B and 4A in respect of all insurers refers to human lives insured as at the end of each financial year.

(2) Re-insurance premium shall not be included while calculating the obligations of the insurers in respect of the rural and social sectors.

(3) The Authority may prescribe or revise the obligations as specified in these Regulations, from time to time.

6. **Compliance.**—(1) For the purpose of these Regulations, compliance with the obligations towards the rural sector in respect of both general and life companies shall be based on the sale of products conforming to the proviso that all such contracts meet the stipulation as to the minimum amount of cover as laid down in Schedules I and II of the Insurance Regulatory and Development Authority (Micro Insurance) Regulations, 2005.

(2) For the purpose of these Regulations, compliance with the obligations towards the social sector in respect of both general and life companies shall be based on the sale of products conforming to the proviso that all such contracts meet the stipulations as to the cover laid down in Schedules I and II of Insurance Regulatory and Development Authority (Micro Insurance) Regulations, 2005.

7. **Submission of returns.**—Every insurer shall submit a return, as part of the financial returns to be submitted under the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditors Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, the rural and social sector obligations specified under these regulations and disclose the level of compliance achieved during the said year. Such reporting shall form part of the 'Notes to the Accounts'."

C. S. RAO, Chairman

[ADVT. III/4/161/2007/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

Hyderabad, the 3rd January, 2008

Insurence Regulatory and Development Authority (Obligations of Insurence to Rural or Social Sectors) (Third Amendment) Regulations, 2008

F. No. IRDA/Reg/1/42/2008:—In exercise of the powers conferred by Section 32C read with section 32B of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following Regulations to further amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Obligations of Insurers to Rural or Social Sectors) Regulations, 2002, notified on October 17, 2002 in the Gazette of India F.No. IRDA/Reg/10/2002 and amended on December 26, 2005 in the Gazette of India F.No.IRDA/Reg/4/2005/37, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Obligations of Insurers to Rural or Social Sectors) (Third Amendment) Regulations, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) In the Insurance Regulatory and Development Authority (Obligations of Insurers to Rural or Social Sectors) Regulations, 2002,

(i) The third proviso to Regulation 3 shall stand deleted.

(ii) After Regulation 3A as inserted by the Insurance Regulatory and Development Authority (Obligation of Insurers to Rural or Social Sectors) (Amendment) Regulations, 2005, the following Regulation 3B shall be added :

"3B. Obligations after the Sixth Financial Year.—

(1) (a) Rural Sector

(i) in respect of a life insurer,

(I) eighteen per cent in the seventh financial year ;

(II) nineteen per cent in the eighth and ninth financial years ;

(III) twenty per cent in the tenth financial year,

of the total policies written direct in that year ;

(ii) in respect of a general insurer,

(I) five per cent in the seventh financial year;

(II) six per cent in the eighth financial year;

(III) seven per cent in the ninth and tenth financial years;

of the total gross premium income written direct in that year.

(b) Social sector

(i) in respect of all insurers,

(I) twenty five thousand lives in the seventh financial year;

(II) thirty five thousand lives in the eighth financial year;

(III) forty five thousand lives in the ninth financial year;

(IV) fifty five thousand lives in the tenth financial year.

(2) The obligations of the insurers towards the rural and social sectors for the tenth financial year shall also be applicable in respect of the financial years thereafter."

(iii) After Regulation 4, the following Regulation 4A shall be added :—

"4A. Obligations of the existing insurers for the financial years 2007-08 to 2009-10. (1) The obligations of the existing insurers as on the date of the commencement of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 towards the rural and social sectors from the financial year 2007-08 to the financial year 2009-10 are as under—

(a) Life Insurance Corporation of India,—

(i) Rural Sector,

(I) twenty four per cent in the financial year 2007-08;

(II) twenty five per cent in the financial years 2008-09 and 2009-10,

of the total policies written direct in that year;

(ii) Social Sector,

(I) Twenty lakh lives in the financial years 2007-08, 2008-09 and 2009-10.

(b) General Insurers,

(i) Rural Sector,—

(I) six per cent in the financial year 2007-08;

(II) seven per cent in the financial years 2008-09 and 2009-10,

(II) आठवें वित्तीय वर्ष में पैंतीस हजार जीवन ;

(III) नवें वित्तीय वर्ष में पैंतालीस हजार जीवन ;

(IV) दसवें वित्तीय वर्ष में पच्चपन हजार जीवन ;

(ii) सभी बीमाकर्ताओं पर ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्र बाध्यताएँ दसवें वित्तीय वर्ष के बाद इसी प्रकार लागू रहेंगी" ।

(iii) विनियमन 4, के बाद निम्नलिखित विनियमन 4ए, जोड़ा जाये ।

"4ए. **वर्ष 2007-08 से 2009-10 पर वर्तमान बीमाकर्ताओं पर बाध्यताएँ** .—(1) वर्तमान बीमाकर्ताओं पर बीमा विनियमन तथा विकास प्राधिकरण विनियमन 1999 के प्रारंभ होने से ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्रों के लिए वित्त वर्ष 2007-08 से वित्त वर्ष 2009-10 के लिए बाध्यताएँ अधोलिखित होंगी ।

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम :—

(i) ग्रामीण क्षेत्र

(I) वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए चौबीस प्रतिशत;

(II) वित्तीय वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के लिए पच्चीस प्रतिशत ;

प्रत्यक्ष रूप से लेखा की गई वर्ष में कुल पोलिसियाँ

(ii) सामाजिक क्षेत्र

(I) वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के लिए बीस लाख जीवन

(क) साधारण बीमाकर्ता :

(i) ग्रामीण क्षेत्र

(I) वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए छः प्रतिशत ;

(II) वित्तीय वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के लिए सात प्रतिशत ;

प्रत्यक्ष रूप से लेखा की गई वर्ष में सकल प्रिमियम आय

(ii) सामाजिक क्षेत्र

(I) वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए कुल सम्बन्धित बीमाकर्ता द्वारा सामाजिक क्षेत्र में आवरित जीवन वित्त वर्ष 2002-03 से 2004-05 अथवा 5.50 लाख जीवन, जो भी अधिक हो ;

(II) वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए वर्तमान बीमाकर्ताओं की बाध्यताएँ 10 प्रतिशत वित्त वर्ष 2007-08 में वास्तविक रूप से आवरित व्यक्तियों की अपेक्षा बढ़ जायेगी ।

(III) वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए वर्तमान बीमाकर्ताओं की बाध्यताएँ 10 प्रतिशत वित्त वर्ष 2008-09 में वास्तविक रूप से आवरित व्यक्तियों की अपेक्षा बढ़ जायेगी ।

(2) वित्तीय वर्ष 2009-10 के बाद के लिए बीमाकर्ता की बाध्यताएँ सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्र के प्रति इसी प्रकार जारी रहेगी ।"

(iv) विनियमन 4ए के बाद अधोलिखित विनियमन 5, 6 तथा 7 जोड़ा जाए ।

"5. **टिप्पणियाँ जो विनियमन 3, 3बी, 4 तथा 4ए पर लागू होती हैं ।**

(1) शब्द "जीवन" जिसका संदर्भ विनियमन 3, 3बी 4 तथा 4ए में सभी बीमाकर्ताओं को मानव जीवन बीमित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दिया गया है ।

(2) बीमाकर्ताओं की ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्र की बाध्यताओं की गणना करते समय पुनर्बीमा प्रिमियम को शामिल नहीं किया जाएगा ।

(3) समय-समय पर इन विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित की गई बाध्यताओं को प्राधिकरण परिशोधित या परिवर्तित कर सकता है ।

6. **अनुपालन** ;—(1) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, जीवन तथा साधारण बीमा कम्पनियों के ग्रामीण क्षेत्र की बाध्यताएं तथा अनुपालन का आधार उत्पादों की बिक्री होगा तथा ऐसे प्रावधानों की पुष्टि करते हुए कि सभी उत्पाद बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (माइक्रो बीमा) विनियमन, 2005 की अनुसूची I तथा II के प्रावधानों के अनुरूप ही है ।

(2) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, जीवन तथा साधारण बीमा कम्पनियों के सामाजिक क्षेत्र की बाध्यताएँ तथा अनुपालन का आधार उत्पादों की बिक्री होगा तथा ऐसे प्रावधानों की पुष्टि करते हुए कि सभी उत्पाद बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (माइक्रो बीमा) विनियमन, 2005 की अनुसूची I तथा II के प्रावधानों के अनुरूप ही है ।

7. **विवरण दाखिल करना**.—सभी बीमाकर्ता बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कम्पनियों की वित्तीय विवरण तथा अंकेक्षण रिपोर्ट) विनियमन 2002 के अन्तर्गत जमा की जाने वाली विवरणी के एक भाग के रूप में इसे जमा करेंगे । इन विनियमों में बताये गये ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्र की बाध्यताएं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट की जाएं तथा सम्बन्धित वर्ष में अनुपालन के स्तर को प्राप्त उपलब्धि को प्रकट किया जाए । ऐसी रिपोर्ट 'लेखा पर टिप्पणी' का भाग बनेगी ।"

सी. एस. राव, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/161/2007/असा.]